

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक : 935/पं.रा.वि./जि.यो./क्षे.पं.प्र.वि.स्वी./2024-25 दिनांक 21/10/2024
कार्यालय शाप।

जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या : 203/जि.यो.24-प्र.वि.स्वी./2024-25 दिनांक : 27 जुलाई, 2024 (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 में सी.सी. मार्ग एवं बटिया निर्माण मर के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय से प्रथम किस्त की धनराशि वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सहित आवंटित हुई है। क्षेत्र पंचायत/(विकास खण्ड) पिथौरागढ़ को जिन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था बनाया गया है उन कार्यों हेतु तालिका के कॉलम 10 के सापेक्ष कॉलम 14 की धनराशि संबंधित विकास खण्ड कार्यालय द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित की जा चुकी है। जिला योजना की अवशेष धनराशि आवंटन प्राप्त होने के पर्याप्त कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/अन्य योग्य अशिलेख उपलब्ध कराने के बाद हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

SN	योजनाओं का नाम	वि.ख	कार्य संस्था	कार्य स्वीकृति का वर्ष	कार्य की लागत (लाख ₹)	कार्य हेतु अनुमोदित धनराशि		कार्य हेतु हस्ता. प्रथम किस्त की धनराशि		अवशेष धनराशि (लाख ₹)				
						सागन्ध (007)	एस.सी. एस.सी. (030)	सागन्ध (007)	एस.सी. एस.सी. (030)					
1	शा.पं.बास में डिग्रेडेशन सिंहर के घर से क्रियास्थल तक संयुक्त सी.सी.मार्ग	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2													
1	बा.पं.बास में डिग्रेडेशन सिंहर के घर से क्रियास्थल तक संयुक्त सी.सी.मार्ग	PTM	VK	24-25	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00
2	बैराज लोक बागरीची से मटखानी तक सी.सी.मार्ग (एस.सी.भी)	PTM	VK	24-25	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00
3	शा.पं. कासनी के मुगल लोक से बदलानी तक सी.सी.मार्ग	PTM	VK	24-25	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00
	योग				9.00	6.00	3.00	0.00	9.00	4.00	2.00	0.00	6.00	3.00

जिला योजना वर्ष 2024-25 में अनुमोदित उद्यम कार्यों के संपादन हेतु खण्ड विकास अधिकारी-पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के अनुसार अनुमोदित कार्यों हेतु मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं. 624 दि. : 24.03.2008 व सचिव.रा.यो.ओ. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अ.शा.प.न संख्या : 501 दि. : 08 अप्रैल, 2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या : 2185631 दिनांक : 20 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्न शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार व्यय की जायेगी।

- 1-उद्यम धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाये। व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत किया जाये, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्वय विचलन की दशा में खण्ड विकास अधिकारी-पिथौरागढ़ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2-उद्यम व्यय में बजट भैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टैपडर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा विधायता के विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
- 3-स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्ययविवरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 4-जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाये और न ही कोई वित्तीय वायदा किया जाये।
- 5-उद्यम धनराशि का व्यय भानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता हेतु कार्यदायी संस्था के अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6-प्ररनगत कार्यों के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरंत कार्य प्रारंभ किये जायेंगे एवं तत्पश्चात् ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 7-इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत व्यय न किया जाये। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाये।
- 8-उद्यम धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अंतर्गत ही किया जाये।
- 9-जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्त के पर्याप्त फोटोप्रामस भविष्य में अचलोकन हेतु सुरक्षित रखे जायें तथा उनकी एक प्रति अयोइस्लाबरी को भी उपलब्ध कराई जाये तथा नियमानुसार भुगतान विधाय जाये तथा सभी अनिलेख खण्ड विकास अधिकारी-पिथौरागढ़ के कार्यालय में सुरक्षित रखे जायें।
- 10-उत्तराखण्ड शासन वित्त (दे.आ.-सा.नि.)अनुभाग-7 के पत्र संख्या : 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक : 14 जुलाई, 2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रॉक्चुरमेंट)नियमवली 2017 का अनुपालन करते हुए आदेश संख्या : 475/XXXVI(1)2008 दिनांक : 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम.ओ.यू. अवरय किया जाये।
- 11- जिला योजना एक वार्षिक योजना है अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बृक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही संबंधित विभाग द्वारा वार्षिक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूर्णीगत मदों के अन्तर वर्गीकृत किया जायेगा।
- 12-स्वीकृत कराये जा रहे कार्यों के आगणनों की टी.ए.सी. से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी.ए.सी. स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारी/कार्यालयबद्ध पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यों के संबंध में गठित आगणनों में टी.ए.सी.कराने के उपरंत कार्य प्रारंभ किये जायें तथा टी.ए.सी. आगणनों की दो प्रतियां (एक अयोइस्लाबरी कार्या. एवं एक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्या.) को भेजे जाने हेतु उपलब्ध कराई जायें।

PTO